भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2040
दिनांक 11 दिसंबर 2025

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत अपस्ट्रीम संचालन का आधुनिकीकरण

+2040. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत अपस्ट्रीम संचालन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से जुलाई में अधिसूचित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 का मसौदा क्या है;
(ख) घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में जुलाई 2025 में 3.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष गिरावट के साथ-साथ बजट 2025-26 में मंत्रालय के लिए 19,327 करोड़ रुपये की ग्यारह प्रतिशत वृद्धि के बीच निवेशकों की मंजूरी को सरल बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) ओपन एक्रिज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के 15वें राउंड की बोली प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कौन से लक्षित प्रोत्साहन और प्रक्रियात्मक सुधार लागू किए जा रहे हैं; और
(घ) इन उपायों के द्वारा उत्पादन में कमी को दूर करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में किस तरह मदद मिलने की संभावना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 (ओआरडी अधिनियम) वर्ष 2025 में अधिनियमित होकर प्रवृत्त हुआ। संशोधित ओआरडी अधिनियम का उद्देश्य निवेशकों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है जिससे व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) बढ़े। तद्नुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम संशोधित ओआरडी अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं।

सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र के अपस्ट्रीम में ईओडीबी को प्रभावित करने वाले मुद्दों का आकलन और समाधान करने के लिए प्रमुख अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) प्रचालकों और सरकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया था। इसके फलस्वरूप, सरकार ने सुधारों के एक समूह को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के अलावा संविदा क्षेत्र के भीतर और बाहर वितरण बिंदु (बिंदुओं), संविदा के तहत मौजूदा पीआई धारकों के बीच सहभागिता हित (पीआई) का हस्तांतरण और डीएसएफ संविदाओं में क्षेत्र हस्तांतरण प्रक्रिया आदि शामिल हैं।

सरकार ने वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी) शुरू की। इस नीति के तहत, खुला रकबा अनुज्ञप्ति नीति (ओएएलपी) शुरू की गई। 9 बोली दौरों के तहत कुल 172 अन्वेषण ब्लॉक, जो 3,78,652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का आच्छादन करते हैं, सफल बोलीदाताओं को आवंटित किए गए।

इसके अलावा, ओएएलपी बोली दौर-X, जिसमें 1,91,986.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का आच्छादन करने वाले 25 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, शुरू किया गया है। एचईएलपी व्यवस्था के तहत एक ही ओएएलपी बोली दौर में प्रस्तावित रकबे के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा बोली दौर है।

एचईएलपी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. रॉयल्टी दरों में कमी,
ii. कोई तेल उपकर नहीं,
iii. समान अनुज्ञप्ति प्रणाली,
iv. राजस्व हिस्सेदारी मॉडल,
v. संविदा की पूरी अवधि के लिए सभी संरक्षित क्षेत्रों पर अन्वेषण अधिकार,
vi. प्रारंभिक वाणिज्यिक उत्पादन की स्थिति में रियायती रॉयल्टी दरें,
vii. श्रेणी-II और III बेसिन में आने वाले ब्लॉकों में अप्रत्याशित लाभ आदि के मामलों को छोड़कर राजस्व हिस्सेदारी आधारित बोली नहीं लगाई जाएगी,
viii. श्रेणी II और III बेसिन में आने वाले ब्लॉकों के लिए विस्तारित और चरणबद्ध अन्वेषण, केवल 2डी और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षणों की बोली लगाना और अन्य सर्वेक्षणों के साथ सीडब्लूपी का आदान-प्रदान करना प्रमुख अतिरिक्त विशेषताएं हैं,
ix. श्रेणी-II और श्रेणी-III बेसिनों के लिए प्रवर्तक प्रोत्साहन को बढ़ाकर 10 अंक कर दिया गया है।

हाइड्रोकार्बन संसाधनों का घरेलू स्तर पर अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ शोधन क्षमता का विस्तार करना और तेल एवं गैस के आयात पर निर्भरता कम करने के उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:-

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) व्यवस्था के अंतर्गत छूट, विस्तार और स्पष्टीकरण हेतु नीति, 2014;
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015;
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और अनुज्ञप्ति नीति (एचईएलपी), 2016;
iv. पीएससी के विस्तार हेतु नीति, 2016 और 2017;
v. कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017;
vi. तेल/गैस की उन्नत पुनर्प्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने की नीति, 2018;
vii. मौजूदा संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के अधीन सीबीएम, शेल तेल और गैस आदि सहित अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और संदोहन के लिए नीतिगत ढांचा, 2018;
viii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) "निषिद्ध" क्षेत्र को मुक्त करना, जिसे पहले वर्ष 2022 तक अन्वेषण के लिए अवरुद्ध किया गया था;
ix. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025;

एचईएलपी व्यवस्था के तहत प्रस्तावित नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन, घरेलू उत्पादन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए ईंधन और तेल उद्योग की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान मिलता है।

*****